



# यूको बैंक ई निलामी विक्रि नोटिस (सरफेसि एक्ट 2002)

जोनल कार्यालय: एन.सी.आर. प्लाजा, द्वितीय तल, न्यु कैंट रोड, देहरादून - 248001 फोन: 0135-2742812

विनीय असितियां का प्रतिभूमिकण्ण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसि एक्ट) के अन्तर्गत बैंक को प्रभावित अचल सम्पत्तियों की ई निलामी विक्री। जबकि यूको बैंक जोनल कार्यालय: एन.सी.आर. प्लाजा, देहरादून के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा SARFAESI अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मात्र नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित प्रमाणित/बन्धक सम्पत्ति को उत्तर अधिनियम के तहत सम्पत्ति कब्जे में लिया गया है और यहां जीवं दर्शायी गयी सम्पत्ति की विक्री हेतु 'जहां हैं जैसी है' आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-निलामी के माध्यम से विक्री करने का निर्णय लिया गया है।

ऋणदार/जमानतदारों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	आरक्षित मूल्य/अरेस्ट मनी डिपोजिट	ई निविदा का दिनांक एवं समय
श्री रमन कुंदा पुत्र ख्व 0 श्री नरेंद्र कुंदा निवासी मकान नं 90 908, सर्वप्रिय विहार कालोनी, कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249408 एवं श्रीमती आत्मा कुंदा पत्नी श्री रमन कुंदा निवासी मकान नं 90 908, सर्वप्रिय विहार कालोनी, कनखल, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड के नाम हैं जो सब रजिस्ट्रेटर के द्वारा रजिस्टर हैं बुक नं 1, वॉल्यूम 380, पेज नं 311 से 336 रजिस्टर नं 5750 दिनांक 21.07.2014 निम्नांकित से अवरुद्ध व चिन्हित हुआ है। पूरब - सम्पत्ति श्री त्रिपाठी, सीमा में माप 40 फीट, परिवर्तम - पूरब - सामान्य रासाना एवं सीढ़ीया, सीमा में माप 40 फीट, उत्तर - बालकनी सीमा में माप 12 फीट 6 इंच, दक्षिण - सम्पत्ति अन्य (विकेता) सीमा में माप 12 फीट 6 इंच	रु 0 1331442/- (रु 0 तेरह लाख इक्कत्तिस हजार चार सौ बयालिस केवल) 31.05.2017 तक (31.05.2017 तक व्याज के साथ)	रु 0 1360000/- (रु 0 तेरह लाख साठ हजार केवल) रु 0 136000/- (रु 0 एक लाख छत्तिस हजार केवल)	रु 0 1360000/- (रु 0 तेरह लाख साठ हजार केवल)	27.12.2017 दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

ऑनलाइन निविदा/निलामी की नियम एवं शर्तें: 1. निलामी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के द्वारा ऑनलाइन निलामी/विडिंग के माध्यम से दिनांक 27/12/2017 को दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे (आई एस टी के अनुसार) तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होती है। 2. इच्छुक बिडर की वैध ई मेल आईडी होनी आवश्यक है। 3. इच्छुक बिडर को सलाह दी जाती है कि अपनी विड जमा करने एवं ई निलामी में भाग लेने से पहले, विस्तृत नियम एवं शर्तें की जानकारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> से प्राप्त करें। 4.

इच्छुक बिडर को ई निलामी की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए मै ०५६६४२५५३० टेल्कोलॉनेजि लि ० (आकाशन टाइगर) अहमदाबाद में मिस मर्सी सागर, श्री रिकिन एंव श्री विशाल से इन नं ०० एवं मेल आईडी पर सम्पर्क करें। लैंड लाइन नं ०० ०७९.४१०७२४१०/४१०७२४११, मोबाइल नं ०० ९०९७८५९१८८८, ईमेल आईडी: support@auctiontiger.net एंव kushal@auctiontiger.net.

5. विड केवल निर्धारित प्राप्त रूप से उचित जानकारी के साथ ऑनलाइन जमा होती है। 6. ऑनलाइन विड जमा करने की अंतिम तिथि 26/12/2017 है। 7. एरेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमटी) आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से यूको बैंक गोविन्द पुरी, हरिद्वार, आईएफएस UCBA0002070 अकाउंट का नाम एनईएफटी/आरटीजीएस अकाउंट, अकाउंट नं ०० २०७००२१००००५९५ में जमा होती है। 8. सम्पत्ति का निरिक्षण ई निलामी विक्री के पांच दिन पहले से सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक शाखा अधिकारी से पहले समय लेकर का सकत है। 9. बोली कार्फी की एक प्रति ऑनलाइन संलग्नक के साथ (जिसमें यूटीआर नं का उल्लेख हो) प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक जोनल कार्यालय, एनसीआर प्लाजा, देहरादून, 248001 के पास जमा करनी है या इनकी सॉफ्ट कॉपी मेल आईडी [govind@ucobank.co.in](mailto:govind@ucobank.co.in) पर मेल करनी है। 10. विड मूल्य जो जमा करने हैं वह आरक्षित मूल्य के बराबर या उस से ज्यादा होना चाहिये एवं विडर्स बोली वृद्धि मूल्य रु ०० १००००/- के गुणांक में बढ़ायेंगे। 11. सफल विडर्स को विड मूल्य का 25% (जमा की गयी एरेस्ट मनी को मिला कर) ई निलामी विक्री समाप्त होने के पश्चात उसी दिन तत्काल नियम नं ०७ में दिये गये माध्यम से जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता को अधोहस्ताक्षरी द्वारा खरीद मूल्य का शेष 75% का भुगतान करना होगा। 12. यदि सफल बोलीकर्ता उपर दिये गये नोटस के अनुसार खरीद मूल्य जमा करने में विफल होता है तो बोलीकर्ता द्वारा जमा राशी जब्त हो जायेगी। 13. असफल बोलीकर्ता की एरेस्ट मनी डिपोजिट (ईएमटी) ई निलामी विक्री समाप्त होने के पश्चात लोटा दी जायेगी। 14. विक्री बैंक की पुष्टि के अधीन है। यदि ऋणी/जमानतदार बकाया राशी निलामी से पुर्य जमा कर देते हैं तो विक्री निरस्त हो जायेगी। 15. ई-नीलामी जहां है जैसा है तथा जहां है जो भी है के आधार पर आयोजित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा सूचना के अनुसार किसी सम्पत्ति का कोई ऋण भार नहीं है। यद्यपि इच्छुक बिडरों को अपनी विड प्रस्तुति से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले ऋण भार, नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति/यों की टाईटल तथा दावे/अधिकार/बकाया के सम्बंध में अपनी खटत्र जाओ करवानी चाहिये। सम्पत्ति बैंक के समर्पित वर्तमान तथा भविष्य के जाने-अनजाने ऋण भार सहित देखी जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सिल्वर फ्रेंडेंटर दीसीसी पार्टी के दावे/अधिकार/बकायों के लिये किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 16. अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार एवं विवेक है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के बिड को रखीकार/अखीकार कर सकता है एवं विक्री शर्तें बदल सकता है। 17. क्रेटा को स्टाम्प ड्युटी शुल्क, विक्री प्रमाण पत्र पांजिकरण शुल्क एवं सम्पत्ति से सम्बंधित वर्तमान एवं भविष्य के सभी सरकारी कर एवं दर वहन करना होगा। विक्री प्रमाण पत्र के वर्तमान तथा भविष्य के जाने-अनजाने ऋण भार सहित देखी जा रही है। 18. प्राधिकृत अधिकारी योन्टिस विषेश रूप से ऋणी, जमानतदार एवं सामान्य रूप से जनता के लिए भी है।